



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30890

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 658/2026

राम कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जमाल अहमद खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जमाल अहमद खान और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की दलीलें सुनीं।
- इस न्यायालय ने निर्देश प्राप्त करने के लिए दिनांक 21.01.2026 को इस रिट याचिका पर सुनवाई की।
- आज, उत्तर प्रदेश के उप श्रम आयुक्त के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 04.02.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख में ले लिया गया है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्होंने वर्ष 2007 में यूपीपीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की तहसील बाबरू में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर तैनात किया गया, जहां वे सितंबर 2012 तक रहे। इसके बाद उनका तबादला श्रम प्रवर्तन अधिकारी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा और अंत में वे सोनभद्र जिले के मिर्जापुर स्थित उप श्रम आयुक्त के कार्यालय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अनुरोध पर उनका तबादला 15.06.2025 को सोनभद्र से लखनऊ कर दिया गया और याचिकाकर्ता ने 17.06.2025 को लखनऊ स्थित अतिरिक्त श्रम आयुक्त के कार्यालय में स्थानांतरित पद पर कार्यभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री अमित प्रकाश सिंह को सहायक श्रम आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आवंटित कार्य क्षेत्र 2 और 14 का था, जो रिक्त हो गया था। इसके फलस्वरूप, 17.12.2025 को अतिरिक्त श्रम आयुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को सेक्टर 2 और संतोष कुमार को सेक्शन 14 का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया। हालांकि, 20.12.2025 को श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश जी.टी. रोड, कानपुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेक्टर 2 का दिया गया अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया।
- उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को किसी भी क्षण मान्य नहीं ठहराया जा सकता है, विशेषकर तब जब 16.08.2024 के सरकारी आदेश में ही अतिरिक्त प्रभार या कार्य आवंटन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। निवेदन यह है कि दिनांक 16.08.2024 के सरकारी आदेश के खंड 2(2) में ही यह प्रावधान है कि उप आयुक्त को कार्य आवंटित करने का अधिकार है और उनके अनुसार, उक्त आवंटन श्रम आयुक्त की स्वीकृति के बाद ही किया जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, विवादित आदेश श्रम आयुक्त द्वारा उप श्रम आयुक्त को प्रदत्त अधिकार का हनन करते हुए सीधे पारित किया गया है। तर्क यह है कि यदि कोई कार्य किसी विशेष तरीके से किया जाना है, तो उसे भिन्न तरीके से नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि विवादित आदेश कलंकित करने वाला है, विशेषकर तब जब प्रतिवादियों के समक्ष प्रस्तुत आधार यह था कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध तीन जांच कार्यवाही लंबित थीं।

7. श्री एस.के. पाल, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि इनमें से किसी भी तर्क का कोई आधार नहीं है। उनका कहना है कि अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार वापस लेने का आदेश पारित करने का अधिकार हमेशा खुला रहता है, क्योंकि अतिरिक्त प्रभार किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देता है, और केवल तीन जांच लंबित होने से विवादित आदेश कलंकित नहीं हो जाता। उनका यह भी कहना है कि श्रम आयुक्त विभाग के प्रमुख होने के नाते इस संबंध में प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं।

8. मैंने बार में दिए गए सभी तर्कों को सुना और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि श्री अमित प्रकाश सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, को 15.12.2025 को सहायक श्रम आयुक्त के पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद, धारा 2 और 14 के अंतर्गत उन्हें आवंटित कार्य रिक्त हो गया और अतिरिक्त श्रम आयुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.12.2025 को पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को धारा 2 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जबकि श्री संतोष कुमार को धारा 14 का प्रभार दिया गया। हालांकि, पक्षों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या श्रम आयुक्त के लिए दिनांक 20.12.2025 का विवादित आदेश पारित करना उचित था, जिसमें दिनांक 16.08.2024 के सरकारी आदेश के आलोक में सेक्टर 2 का अतिरिक्त प्रभार छीन लिया गया था। दिनांक 16.08.2024 के सरकारी आदेश में सेक्टरों के आवंटन और श्रम प्रवर्तन अधिकारी से संबंधित कार्यों का उल्लेख है। हालांकि दिनांक 16.08.2024 के सरकारी आदेश के खंड 2(2) के तहत उप श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त की स्वीकृति के बाद कार्य आवंटित करने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की आपत्ति यह है कि श्रम आयुक्त उप श्रम आयुक्त के अधिकार का हनन करते हुए स्वयं कार्य आवंटित नहीं कर सकते थे और ऐसा करके उन्होंने विधि का उल्लंघन किया है तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर का आदेश पारित किया है। यह आपत्ति न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर तब जब श्रम आयुक्त विभाग के प्रमुख होने के नाते स्पष्ट रूप से इस संबंध में सेक्टरों का आवंटन करने के लिए प्राधिकार और शक्तियां रखते हैं। इसके अलावा, केवल इस आधार पर कि 16.08.2024 के सरकारी आदेश में अतिरिक्त श्रम आयुक्त द्वारा कार्य आवंटन से पहले श्रम आयुक्त की स्वीकृति अनिवार्य है, आदेश को क्षेत्राधिकारहीन नहीं बना दिया जाता। वास्तव में, अतिरिक्त प्रभार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रदान करने से किसी भी प्रकार से असीमित अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, विशेष रूप से तब जब मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को आवंटित मूल कार्य का निर्वहन नहीं किया जा रहा है और याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध तीन जांच कार्यवाही होने के संबंध में, यद्यपि यह अतिरिक्त प्रभार न दिए जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन केवल अतिरिक्त प्रभार लेने से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती जिससे याचिकाकर्ता के वेतनमान और स्थिति में परिवर्तन हो। वैसे भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालयों को अतिरिक्त प्रभार और सामान्य कामकाज से संबंधित मामलों में तब तक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि इससे निहित अधिकार का हनन न हो या संबंधित पदाधिकारी के लिए हानिकारक न हो।

9. तदनुसार, ब्याज अस्वीकार किया जाता है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

10. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज किए जाते हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"